मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1991 सत्र

दैनिक कार्य – सूची

मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 19, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1985-86 (वर्ष समाप्त दिनांक 30 जून, 1986 के लिये) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नेपा लिमिटेड का 44 वां वार्षिक विवरण एवं लेखा वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्षान्त 31 दिसम्बर 1984 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्त शिल्प विकास निगम मर्यादित का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष समाप्ति 30 जून, 1984 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1985-86 (अनुभाग एक व दो) पटल पर रखेंगे.

(6) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 8 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (1)-90-20 सूत्र- तेंतालीस, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री कांतिलाल भूरिया, डा. गोविन्द सिंह, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य खरगोन जिले के महेश्वर में जहरीली शराब से हुई कई लोगों की मृत्यु की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री डोंगर सिंह पटेल, सदस्य खरगोन जिले के चिरिया रेंज में वनकर्मियों की मिली भगत से हो रही जंगलों की अवैध कटाई की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अनूप सिंह मरावी, सभापति, याचिका समिति का षष्ठम एवं सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

निर्धारित समय: 30 मिनिट

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/सत्यनारायण शर्मा, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (क्रमांक 4 सन् 1991) का अननुमोदन करता है".

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 27 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मिनिट

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अल्प वर्षा के कारण सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामानंद सिंह/कांतिलाल भूरिया/जालम सिंह पटेल/रामप्रताप सिंह/ मेहरबानसिंह रावत, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

8. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

30 मिनिट

प्रदेश में सड़कों की जर्जर दशा, नियमानुसार रखरखाव न होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होने तथा प्रदेश का विकास अवरुद्ध होने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल
दिनांक 9 दिसम्बर, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा